रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2018/माघ 20, 1939
No. 75] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2018/MAGHA 20, 1939

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 154(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जम्मू-कश्मीर निवासी (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट) नियम, 1997 को, उन बातों के सिवाय, जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या जिनके करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक के परामर्श से, केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के निवासियों के पक्ष में आयु सीमा को शिथिल करने का विनिश्चय करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर निवासी (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट) नियम, 2018 है ।

(2) ये 1 जनवरी, 2018 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. लागू होना—

ये नियम सभी केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों को लागू होंगे, जिनमें भर्ती केंद्रीय सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या अन्यथा के माध्यम से की जाती है ।

3. ऊपरी आयु सीमा में छूट—

जब भी नियम 2 में निर्दिष्ट सेवाओं और पदों के लिए भर्ती की जाती है इन सभी व्यक्तियों को, जो साधारणतया जम्मू-कश्मीर राज्य में 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 के बीच अधिवास कर रहे थे, ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट अनुज्ञेय होगी :

परंतु किसी परीक्षा में भाग लेने के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट सभी नियमों के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम अवसरों की संख्या की शर्त के अधीन होगी ।

4. निवास के सबूत के संबंध में प्रमाणपत्र--

नियम 3 के अधीन अनुज्ञेय आयुसीमा में छूट का लाभ लेने की वांछा रखने वाला व्यक्ति निम्नलिखित से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 की अवधि के दौरान जम्मू-कश्मीर राज्य में अधिवास कर रहा था—

(क) जिला मजिस्ट्रेट, जिसकी अधिकारिता में वह साधारणतया निवास कर रहा था ; या

(ख) जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित कोई अन्य प्राधिकारी ।

5. निर्वचन—

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसका विनिश्चय केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

6. भर्ती नियमों का संशोधन—

केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों, जिसके अंतर्गत भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के पद हैं, में व्यक्तियों की भर्ती को विनियमित करने वाले सभी नियम और उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शासन करने वाले नियम, इन नियमों में उपबंधित सीमा तक संशोधित हो गए समझे जाएंगे ।

7. निर्वचन—

ये नियम 31 दिसंबर, 2019 तक प्रवृत्त रहेंगे और उक्त अवधि के परे कोई और विस्तार नहीं किया जाएगा ।

[फा. सं. 15012/1/2014-स्था. (घ)]

ज्ञानेन्द्र देव त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

केंद्रीय सरकार ने उन सभी व्यक्तियों को, जो 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 की अवधि के दौरान जम्मू-कश्मीर राज्य में साधारणतया अधिवास कर रहे थे, 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए आयु सीमा में छूट देने का विनिश्चय किया है ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।